न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
19 / 2024 / प्रार्थना पत्र	2024 / 21	24.01.2024	09.09.2025

अनवान

अनिल कुमार पुत्र मुकुट बिहारी डोडिया निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

:: बनाम ::

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति – श्री योगेन्द्र सिंह भाटी –अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार –राज्य पक्ष

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 23.01.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का फूलिया खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ढीकोला तहसील शाहपुरा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 1070, 1071, 1072 स्थित होकर प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी के खातेदारी आराजियात में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी में आने जाने, क ृषि उपकरण लाने ले जाने व कृषि कार्य करने के लिए आराजी नम्बर 1029 भीलवाड़ा शाहपुरा सार्वजनिक रोड़ से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी 1061 में से होकर अपनी आराजी में पहुंचता है। प्रार्थी लगभग 30 वर्षों से आ जा रहा है किन्तु वर्तमान में प्रार्थी की आराजियात के सटवा विपक्षी की आराजी 1061 सार्वजनिक भूमि होने से कतिपय व्यक्तियों द्वारा रास्ते की भूमि पर व्यवधान किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु विपक्षी की आराजी में से रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी का एकमात्र निकटतम व लघुतम रास्ता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि आराजियात में पहुंच हेतु विपक्षी के स्वामित्व की आराजी संख्या 1061 भूमि में से रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लुघतम होकर केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। तहसीलदार द्वारा ग्राम खेड़ाराजपुरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ढीकोला तहसील शाहपुरा स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2300 है0 में से 0.0243 हैक्टेयर(27 मीटर गुणा 9 मीटर / 243 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थी अपनी की खातेदारी आराजियात 1071 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुतम है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे व रास्ता 30.00 फीट तक उपलब्ध कराया जाने का प्रवधान है।

फिर भी विपक्षी को न्यूनतम क्षति हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान 1061 में से 9 मीटर(30 फीट) चौड़ाई के स्थान पर 12 फीट चौड़ाई (3.6576 मीटर) का नवीन रास्ता उपलब्ध कराना न्यायालय प्रर्याप्त एवं आवश्यक समझता है। अतः ग्राम खेड़ाराजपुरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2300 है0 में से 0.0098 हैक्टेयर(27 मीटर गुणा 3.6576 मीटर/98.7552 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षी की भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2300 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0098 हैक्टेयर(27 मीटर गुणा 3.6576 मीटर/98.7552 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0098 है0 को आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा